भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. *555**

जिसका उत्तर 02.04.2026 को दिया जाना है

**वाहनों पर बहुस्तरीय कराधान**

†*555. श्री विजय कुमार हाँसदाक:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वाहनों पर लगने वाले सड़क कर, ईंधन कर और पथ कर जैसे बहुस्तरीय करों के बोझ को कम करने का कोई प्रस्ताव/योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार पथ कर प्लाजा पर प्रतीक्षा समय पांच मिनट से अधिक होने पर पथ कर माफ करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**"वाहनों पर बहुस्तरीय कराधान" के संबंध में श्री विजय कुमार हाँसदाक द्वारा पूछे गए दिनांक 02.04.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *555 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) से (ग) भारत का संविधान राज्यों/संघों राज्य क्षेत्रों को वाहन कर लगाने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।

केंद्र सरकार द्वारा ईंधन पर उत्पाद शुल्क या उपकर लगाया जाता है और इसका उपयोग, बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है, जिसमें रेलवे, ग्रामीण सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि शामिल हैं। सरकार का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की मार से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए, आवश्यकतानुसार पेट्रोलियम क्षेत्र में वित्तीय उपाय करती है। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

- नवंबर 2021 और मई 2022 में, केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में दो किस्तों (ट्रांचे) में कुल 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 16 रुपये प्रति लीटर की कमी की, जिसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया।
- मार्च 2024 में, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी की।
- अप्रैल 2025 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया।
- हाल ही में, मध्य पूर्व संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए, सरकार ने उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की है।

मोटर वाहनों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खंड के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क अर्थात् "टोल" देय होता है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाजाओं पर संग्रहित प्रयोक्ता शुल्क का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर सेवाएं या लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण से प्राप्त राजस्व भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाता है और बजटीय आवंटन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के भावी रखरखाव, विकास और संवर्धन के लिए किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 में शुल्क प्लाजाओं पर प्रतीक्षा समय के आधार पर प्रयोक्ता शुल्क की छूट का कोई प्रावधान नहीं है।

दिनांक 15/16 फरवरी, 2021 की मध्यरात्रि से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी टोल प्लाजा की लेन को फास्टैग लेन घोषित करने से टोल प्लाजा पर यातायात सुगम हो गया है, प्रतीक्षा समय कम हो गया है और भीड़भाड़ कम हुई है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा की कार्यक्षमता बढ़ी है। 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (एनईटीसी) कार्यक्रम के लिए कराए गए प्रभाव आकलन से पता चलता है कि ईटीसी संचालन के तहत

किसी वाहन के टोल प्लाजा पार करने में लगने वाला औसत समय लगभग 40 सेकंड है, जबकि पहले की मैनुअल टोल प्रणाली के तहत प्रति वाहन 12.23 मिनट लगते थे, जो यातायात प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार और भीड़भाड़ में कमी को दर्शाता है।

इसके अलावा, सरकार ने राजमार्ग विकास के लिए राजस्व आवश्यकताओं और सड़क प्रयोक्ताओं पर बोझ को कम करने के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय-समय पर टोल नीति की समीक्षा की है। सड़क प्रयोक्ताओं पर बोझ को और कम करने के लिए, सरकार ने अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित संशोधन किए हैं:

(i) अधिक संरचना लंबाई वाले राजमार्गों के लिए प्रयोक्ता शुल्क को सीमित करने के लिए साकानि 437(अ), दिनांक 01.07.2025

(ii) पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन वाले राजमार्ग का चार या अधिक लेन में उन्नयन करने के मामले में दरों में कमी के लिए साकानि 01(अ), दिनांक 31.12.2025

(iii) साकानि 388 (अ), दिनांक 17.06.2025 द्वारा गैर-वाणिज्यिक कारों, जीपों और वैनों के लिए वार्षिक पास की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 3000/- रुपये (तीन हजार रुपये) के भुगतान पर 200 शुल्क प्लाजा क्रॉसिंग या एक वर्ष की वैधता, जो भी पहले हो, कराई गई है।

(iv) साकानि 734 (अ), दिनांक 03.10.2025 द्वारा बिना फास्टैग वाले वाहनों या सक्रिय फास्टैग वाले वाहनों के लिए लागू प्रयोक्ता शुल्क में 2 गुना से 1.25 गुना तक की कमी की गई, बशर्ते प्रयोक्ता यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने के विकल्प का चयन करता हो;

(v) साकानि 107 (अ), दिनांक 04.02.2026 द्वारा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे, जो इसकी अधिसूचित लंबाई के केवल एक भाग के लिए ही चालू है, के उपयोग के लिए देय शुल्क, लागू शुल्क के 1.25 गुना के बजाय एक गुना की दर से लगाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने टोल संचालन को अधिक बेहतर बनाने और वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है। इस प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स के साथ स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) और हाई परफॉरमेंस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (फास्टैग) जैसी एकीकृत तकनीकों का उपयोग करके अवरोधक रहित (बैरियर फ्री) टोल वसूली की सुविधा उपलब्ध होती है, जिसमें वाहन चालकों से टोल प्लाजा पर रुके बिना ही प्रयोक्ता शुल्क वसूला जाएगा।

*****